कार्यवाही हेतु प्रेषित ... सत्यापन

न्यायालय सहायक कलक्टर, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री मांगीलाल राम, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रा0पत्र संख्याः— 225/2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. अमित राय खन्ना पुत्र उदाराम जाति खटीक निवासी खटीकों का वास, सरदार समन्द तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान।		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः—

1. श्री पुनीत दवे, श्री जय तंवर अधिवक्तागण प्रार्थी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक — 20/05/2025

अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा गांव सरदार समन्द पटवार हल्का सरदार समन्द तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में प्रार्थी एवं अन्य सह खातेदारान की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि के खाता सं0 459 के ख0नं0 283/1216 रकबा 0.3200 है0 बा0दो0 की आयी हुई स्थित है। वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थी लखाराम का 1/5 खातेदारी हक हिस्सा हैं। उक्त कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम लखाराम पुत्र उदा अंकित है। प्रार्थी ने राजस्थान सरकार जरिये गजट नोटिफिकेशन के अपना नाम लखाराम पुत्र उदा के स्थान पर अमित राय खन्ना पुत्र उदाराम करवा दिया है। इस प्रकार वर्तमान में प्रार्थी अमित राय खन्ना के नाम से जाना जाता है। प्रार्थी द्वारा उक्त गजट नोटिफिकेशन के आधार पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि तमाम दस्तावेजों में स्वयं का नाम लखाराम के स्थान पर अमित राय खन्ना करवा दिया है। प्रार्थी का नाम वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमा बन्दी में अमित राय खन्ना की जगह लखाराम अंकित होने के कारण प्रार्थी को अन्य राजस्व संबंधी समस्त कार्यों में समस्यायें आ रही है, ऐसी परिस्थितियों प्रार्थी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में स्वंय का नाम लखाराम पुत्र उदा के स्थान पर दुरुस्त करवाते हुए अमित राय खन्ना पुत्र उदाराम करवायें। तदर्थ प्रार्थी यह प्रार्थना–पत्र बाबत रेकर्ड दुरुस्ती का श्रीमान् के न्यायालय में प्रस्तुत करता है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमावंदी में प्रार्थी का नाम लखाराम पुत्र उदा के स्थान पर अमित राय खन्ना पुत्र उदाराम अंकित कर राजस्व रेकर्ड में संशोधन किया जाने की ईश्तदुआ की हैं।

उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर पैरा सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा सरदारसमंद में स्थित होना, पैरा सं0 2 का जबाब प्रार्थी स्वयं न्यायालय में साक्ष्य सबूत पेश कर सावित करना तथा पैरा सं0 03 से 05 का कानूनी होना अंकित किया हैं।

वादग्रस्त कृषि भूमि के मौका एवं राजस्व रेकर्ड की जांच हेतु लिखा जाने पर तहसीलदार सोजत द्वारा पत्रांक/रीडर/2025/574 दिनांक 06.05. 2025 के जरिये लखाराम पुत्र उदा एवं अमितराय खना पुत्र उदाराम एक ही नाम का व्यक्ति हैं। अतः शुद्धि किया जाना उचित है, की रिपोर्ट पेश की। सा0मि0 हैं।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम लखाराम पुत्र उदा के स्थान पर अमित राय खन्ना पुत्र उदाराम अंकित कर राजस्व रेकर्ड में संशोधन किया जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट, अन्य दस्तावेजात का अवलोकन कर गहनता से अध्ययन किया गया। वस्तुतः तहसीलदार सोजत द्वारा लखाराम पुत्र उदा एवं अमित राय खन्ना दोनो एक ही व्यक्ति होने तथा राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किये की अनुशंषा की हैं। प्रार्थी के अन्य दस्तावेजात जैसे पैन सं0 AUNPR6547E, आधार सं0 5906 5720 6686 तथा मतदाता पहचान सं0 RJ/21/161/033815 में लखाराम पुत्र उदाराम तथा अमित राय खन्ना पुत्र उदाराम नाम दर्ज हैं। जिससे लखाराम पुत्र उदा तथा अमित राय खन्ना पुत्र उदाराम दोनो एक ही व्यक्ति होने की संपुष्टि होती हैं। लिहाजा प्रार्थित भूमि में दर्ज लखाराम पुत्र उदा के स्थान पर सही व वास्तविक नाम अमित राय खन्ना पुत्र उदाराम दुरूस्त रूप से इन्द्राज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा गांव सरदार समन्द पटवार हल्का सरदार समन्द तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान के खाता सं0 459 के ख0नं0 283/1216 रकबा 0.3200 है0 बा0दो0 की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज लखाराम पुत्र उदा के स्थान पर सही व वास्तविक नाम अमित राय खन्ना पुत्र उदाराम दुरूस्त इन्द्राज किये जाने के आदेश दिए जाते है।

उपखण्ड अधिकारी

तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 20/05/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)